कार्यालय : शबनम कदीर मंसूरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़ म.प्र.

क्रमांक : 25 /2024 राजगढ़, दिनांक : 30-08-2024

//संशोधित कार्य विभाजन आदेश //

मैं शबनम कदीर मंसूरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजगढ़, कार्य तथा प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12 एवं धारा 13 (2) के अंतर्गत, एतद् द्वारा कार्यविभाजन पत्रक वर्ष 2024 में सामान्य नोट में बिन्दु क्रमांक 31 निम्नानुसार जोड़ा जाता है:–

बिन्दु क्रमांक 31– "मुख्यालय राजगढ़ पर मजिस्ट्रेट अनुपलब्ध होने की दशा में कार्य का प्रभार न्यायालय खिलचीपुर में श्री सचिन साहू, जेएमएफसी खिलचीपुर एवं उनकी अनुपस्थिति में सुश्री शिवानी धुर्वे, जेएमएफसी खिलचीपुर पर रहेगा। तहसील मुख्यालय खिलचीपुर पर भी मजिस्ट्रेट अनुपलब्ध होने की दशा में उक्त प्रभार तहसील मुख्यालय ब्यावरा पर उपस्थिति वरिष्ठतम मजिस्ट्रेट पर रहेगा।"

उक्त आदेश माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत दिनांक 30-8-24 से प्रभावशील होगा।

30-8-24

(शबनम कदीर मंसूरी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजगढ़ म.प्र.

अनुमोदित

(राजीव म. आपटे)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
राजगढ़ म0प्र0

पृष्ठांकन क्रमांक 147 /2024 राजगढ़, दिनांक– 30-08-2024

प्रतिलिपिः–

1 कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय राजगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2 समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजगढ़/ब्यावरा/नरसिंहगढ़/खिलचीपुर/जीरापुर/सारंगपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

3 कलेक्टर, जिला–राजगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4 पुलिस अधीक्षक, जिला राजगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं संबंधित पुलिस अधिकारियों/आरक्षी केन्द्रों को सूचित किये जाने हेतु प्रेषित।

5 जिला अभियोजन अधिकारी, राजगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं संबंधित सहायक अभियोजन अधिकारियों को सूचित करने हेतु प्रेषित।

6 सिस्टम ऑफीसर, कम्प्यूटर अनुभाग राजगढ़ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7 अध्यक्ष/सचिव अभिभाषक संघ राजगढ़/ब्यावरा/नरसिंहगढ़/खिलचीपुर/जीरापुर/सारंगपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(शबनम कदीर मंसूरी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजगढ़ म.प्र.